

परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु विपथनके लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र ।

प्रपत्र क

(पैरा 2.2(1) देखें)

(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना विवरण :

(1) राजपुर मुण्डियर सडक (रामपुर उपरेटी) से :- राजपुर मुण्डियर सडक (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी को जोड़ने हेतु इससे कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं है। यह सडक वन क्षेत्र से गुजरती है।

(2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)

क. स्थान सर्वे संख्या / कम्पार्टमेंट संख्या -

ख. क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में) -

4.00 हेक्टेयर

ग. वन मण्डल -

बारां

घ. 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शे पर दिखाएं।

2. प्रस्तावित भवन / गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग-अलग विवरण।

3. प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुरक्षण या दण्ड प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग देने को तैयार होंगे।

4. ग्राम सभा की संस्तुति-स्वीकृत / अस्वीकृत

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

तिथि

(बड़े अक्षरों में नाम) एस० एस० मीना

स्थान

पता

सा० नि० वि० खण्ड शाहाबाद

प्रस्ताव की क्रम संख्या 5(Cii) 27/5/2014

(रेंज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा)

वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

हस्ताक्षर

ग्राम सेवक / पटेल सांचेव

ग्राम सेवक चायत वि-ची

हस्ताक्षर

पटवारी हल्का

हस्ताक्षर

वन पाल

नाका - 1

2023/24

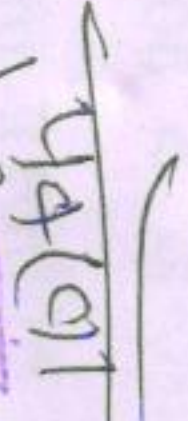
बैंक कार्यवाही विवरण प्रति

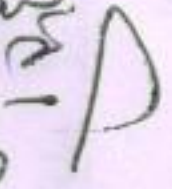
पंचायत - बेलवा पंचायत समिति बेलवा वि.स. अ.स. वर्ष 2023-24

क्र.सं.	बैंक का स्थान	पंच/सदस्य का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैंक की कार्यवाही का विवरण	बैंक में उपस्थित सदस्यों के
1					
2	राष्ट्रीय बैंक	अभिनी प्रवेशी		आ.स. दिनांक 25/12/23 को, सचिव ने अभिनी प्रवेशी को बैंक की कार्यवाही के लिए बुलाया।	
3	राष्ट्रीय बैंक	अभिनी प्रवेशी		आ.स. दिनांक 25/12/23 को, सचिव ने अभिनी प्रवेशी को बैंक की कार्यवाही के लिए बुलाया।	
4	राष्ट्रीय बैंक	अभिनी प्रवेशी		आ.स. दिनांक 25/12/23 को, सचिव ने अभिनी प्रवेशी को बैंक की कार्यवाही के लिए बुलाया।	
5	राष्ट्रीय बैंक	अभिनी प्रवेशी		आ.स. दिनांक 25/12/23 को, सचिव ने अभिनी प्रवेशी को बैंक की कार्यवाही के लिए बुलाया।	

- आ.स. दिनांक 25/12/23 को, सचिव ने अभिनी प्रवेशी को बैंक की कार्यवाही के लिए बुलाया।
- आ.स. दिनांक 25/12/23 को, सचिव ने अभिनी प्रवेशी को बैंक की कार्यवाही के लिए बुलाया।
- आ.स. दिनांक 25/12/23 को, सचिव ने अभिनी प्रवेशी को बैंक की कार्यवाही के लिए बुलाया।
- आ.स. दिनांक 25/12/23 को, सचिव ने अभिनी प्रवेशी को बैंक की कार्यवाही के लिए बुलाया।
- आ.स. दिनांक 25/12/23 को, सचिव ने अभिनी प्रवेशी को बैंक की कार्यवाही के लिए बुलाया।

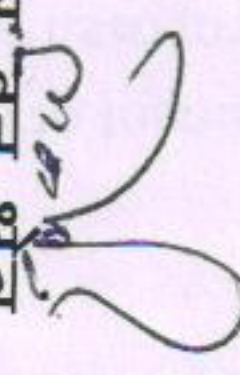
आज दिनांक 27-5-2019 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सड़क राजपुर मुण्डियर सड़क (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द हैं उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि में सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्व सम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवं किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 5(2) पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई।

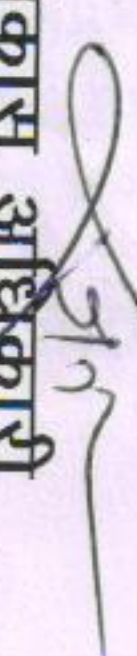

सरपंच
सरपंच ग्राम पंचायत
श्री. स. बीची बाद (बार)


श्री. स. बीची बाद
ग्राम पंचायत
पंचायत समिति शाहाबाद

आज दिनांक 30-10-2014 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार कमेटी से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क राजपुर मुण्डियर सड़क (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी के लिए प्राप्त प्रस्ताव सं. 5(iii)27.05.2014 जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमेटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं है। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशङ्का की जाती है।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड शाहाबाद


रेंजर वन क्षेत्र
शाहाबाद / केलवाडा


विकास अधिकारी
पं.स. शाहाबाद

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No. 21/2014Dated 25.11.2014**To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights.) Act. 2006 ('FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.00 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Hari Prasad Meena Executive engineer Public Works Department Div.-Shahabad** (name of user agency) for **Construction of Road Work from Rajpur mundiyyar road (Rampur upreti) to Isatori**(purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of **Rampur Upreti and Isatori** village(s) in **Shahabad** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sbha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (X).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl. : As above.

(Lalit Kumar Gupta)
Collector & D.M.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)